# संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99** को लागू किया।

- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गाज़ा में इज़रायल की कार्रवाइयों के संभावित खतरे के बारे में सचेत करना था। इस बड़ी **मानवीय आपदा** को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य महासचिव ने यह कदम उठाया है।

## संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 क्या है?

- अनुच्छेद 99 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत एक प्रावधान है जो संयुक्त राष्ट्र के संविधान के रूप में कार्य करता है।
    - यह महासचिव को **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये संभावित खतरों** के मामले में **सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार** प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 99 को विवेकाधीन (Discretionary) माना जाता है, जो महासचिव को **महत्त्वपूर्ण मुद्दों** को उजागर करने की अनुमति देता है तथा इसे लागू करने के लिये सुरक्षा परिषद की भागीदारी की आवश्यकता होती है।
- **वर्ष 1960 में कांगो गणराज्य में हुई क्रांति, वर्ष 1961 में फ्राँस की सैन्य कार्रवाइयों के विरुद्ध ट्यूनीशिया की शिकायत तथा** वर्ष 1971 में बांग्लादेश के गठन जैसे मामलों का समाधान करने सहित विगत आह्वानों के साथ इस अनुच्छेद का बहुत कम उपयोग किया गया है।

## संयुक्त राष्ट्र का चार्टर:

- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज़ है। इस पर 26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किये गए तथा यह 24 अक्तूबर, 1945 को लागू हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकार्यों तथा अपने चार्टर में निहित शक्तियों के कारण विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है, जिसे एक **अंतर्राष्ट्रीय संधि** माना जाता है।
    - इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर **अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन** है और संयुक्त राष्ट्र के **सदस्य देश** इससे बँधे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक निकाय, अपने कानून द्वारा संचालित होता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न है।

# संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

*संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में*

### परिचय

- संयुक्त राष्ट्र के **6 प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर** द्वारा **1945 में स्थापित**

### मुख्यालय

- न्यूयॉर्क सिटी

### पहला सत्र

- **17** जनवरी, **1946** को चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, **लंदन** में

### सदस्यता

- 15 सदस्य- **5** स्थायी सदस्य **(P5)**, **10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल** के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष **5** का चुनाव किया जाता है)
- **P5- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्राँस और चीन**

### UNSC की अध्यक्षता

- **15** सदस्यों के बीच **प्रत्येक माह बारी-बारी से**
- वर्ष **2022** के लिये **भारत की अध्यक्षता-दिसंबर**

### मतदान शक्तियाँ

- **1** सदस्य = **1** मत/वोट
- **P5** देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है वीटो पावर है
- **UN** के ऐसे सदस्य जो **UNSC** के सदस्य नहीं हैं, **मतदान के अधिकार के बिना** इसके सत्र में भाग लेते हैं

### UNSC समितियाँ/प्रस्ताव

- **आतंकवाद:**
  - **संकल्प 1373** (आतंकवाद रोधी समिति)
  - **संकल्प 1267** (दाएश और अल कायदा समिति)
- **अप्रसार समिति:**
  - **संकल्प 1540** (परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विरुद्ध)

### भारत और UNSC

- **गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवा; 2021-22** में **8**वीं बार चुना गया; **स्थायी सीट की मांग**
- **स्थायी सीट के लिये तर्क:**
  - **43 शांति मिशन**
  - **मानवाधिकार घोषणा (UDHR)** को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी
  - भारत की **जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली** आदि।

**G4- चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समूह जो UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं**

### "मतैक्य के लिये मिलकर काम करना" आंदोलन (Uniting for Consensus-UfC Movement)

- अनौपचारिक रूप से इसे कॉफी क्लब के रूप में जाना जाता है
- देश UNSC स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करते हैं
- समूह के प्रमुख देश-इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान
- इटली और स्पेन जर्मनी की दावेदारी का; पाकिस्तान- भारत की दावेदारी का; अर्जेंटीना-ब्राजील की दावेदारी का और ऑस्ट्रेलिया-जापान की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं

**United Nations Security Council**

Composition through 2022

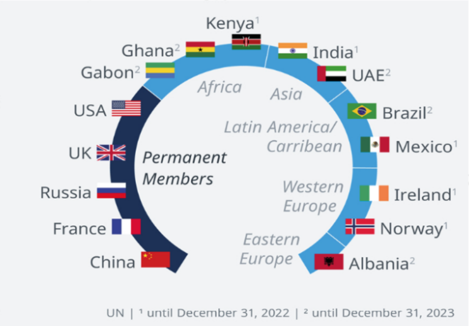


### UNSC के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम UNSC विचार-विमर्शों पर लागू नहीं होते हैं; बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है
- UNSC में पावरप्ले; P5 की अराजकतावादी वीटो शक्तियाँ
- P5 के बीच गहन ध्रुवीकरण; लगातार मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध करता है
- विश्व के कई क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

//

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**????????????:**

**प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिये चुने जाते हैं? (2009)**

(a) 1 वर्ष
(b) 2 वर्ष
(c) 3 वर्ष
(d) 5 वर्ष

**उत्तर: (b)**

---

***?????:***

**प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015)**

**प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) के प्रमुख कार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिये। (2017)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/article-99-of-the-un-charter